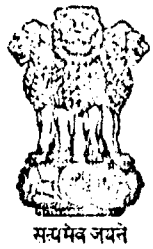

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों प्रत्यायोजन सम्बन्धी आदेशों का संकलन

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना
द्वारा सचिवालय शाखा मुद्रणालय में मुद्रित
१९७६ ।

संकल्प सं० मं०म०/प्र०सु० २-२०६/७५—१८०-प्र०सु०।

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।

(प्रशासनिक सुधार)

संकल्प

पटना-१५, दिनांक १४ अगस्त, १९७६।

विषय—सरकार के विभागों विभागाध्यक्षों के प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विस्तार।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (प्रशासनिक सुधार) से निर्गत संकल्प संख्या ४७६१-प्र० सु०, दिनांक २८ नवम्बर, १९७१ तथा संकल्प संख्या ६२-प्र०सु०, दिनांक १ सितम्बर, १९७४ को पढ़ा जाय। संकल्प सं०६२-प्र०सु०, दिनांक १ सितम्बर, १९७४ द्वारा विभागाध्यक्षों को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का जो विस्तार किया गया है, वह विशेषतः निर्माण विभाग के विभागाध्यक्षों से ही सम्बन्धित है। गैर-निर्माण विभाग के विभागाध्यक्षों से एतद्सम्बन्धी प्रस्तावों पर शक्ति प्रत्यायोजन समिति ने छानबीन कर सरकार को अपनी अनुशंसायें दीं तथा उक्त समिति की अनुशंसाओं पर, वित्त विभाग के मन्तव्य की पृष्ठभूमि में सरकार ने सरकारी विभागों तथा अन्य विभागाध्यक्षों को वित्तीय शक्तियों के विस्तार हेतु जो निर्णय लिये हैं, वे परिशिष्ट के रूप में अनुलग्न हैं। सम्प्रति सरकारी विभागों तथा विभागाध्यक्षों को जो अधिक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित हैं, उनके प्रयोग पर, परिशिष्ट के स्तम्भ ५ और ६ में अंकित निर्णयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

२। इनमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

३। सम्बन्धित विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन सरकारी निर्णयों के अनुरूप सम्बन्धित नियमों, संहिताओं, परिपत्रों आदि के संशोधन शीघ्र प्रकाशित करें।

४। इन आदेशों के फलस्वरूप जिन वित्तीय मामलों का निष्पादन विभागों और सचिवालय से संलग्न विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाय, उनमें विभाग के आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की पूर्व सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी और स्वीकृत्यादेश में यह उल्लेख किया जाय कि सम्बन्धित आदेश इस संकल्प के अन्तर्गत, निर्गत किया गया है। स्वीकृत्यादेश की एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (प्रशासनिक सुधार) तथा वित्त विभाग को भी निश्चित रूप से भेजी जाय।

५। ये आदेश तुरत लागू होंगे।

आदेश—इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/संलग्न कार्यालयों/विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

राम प्रकाश खन्ना,

मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० मं०म०/प्र०सु० २-२०६/७५—१८०-प्र०स०।

पटना-१५, दिनांक १४ अगस्त, १९७६।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, रांची/पटना को (*वित्त विभाग के माध्यम से) सूचनार्थ प्रेषित।

परमानन्द दास,

अवर सचिव।

ज्ञाप सं० मं०म०/प्र०सु० २-२०६/७५—१८०-प्र०सु०, ।

पटना–१५, दिनांक १४ अगस्त, १९७६ ।

प्रतिलिपि, सरकार के सभी विभागों/संलग्न कार्यालयों/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ प्रेषित ।

२ । परिशिष्ट के स्तम्भ-२ में प्रसंगित मदों से संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वे सुसंगत नियमों/संहिताओं/परिपत्रों का संशोधन अविलम्ब प्रकाशित करें तथा उसकी सूचना इस विभाग को भी निश्चित रुप से दें ।

परमानन्द दास,
अवर सचिव ।

ज्ञाप सं० मं०म०/ ०सु० २-२०६/७५—१८०-प्र०सु० ।

पटना–१५, दिनांक १४ अगस्त, १९७६ ।

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु अग्रसारित ।

२ । अनुरोध है कि इस संकल्प को राजपत्र के एक असाधारण अंक में प्रकाशित करें, तथा उसकी दो हजार प्रतियां मंत्रिमंडल सचिवालय (प्रशासनिक सुधार) को शीघ्र उपलब्ध करायें ।

परमानन्द दास,
अवर सचिव ।

परिशिष्ट

क्रम सं०।	शक्तियों का स्वरूप एवं प्राधिकार।	मौजूदा शक्तियां		और भी अधिक शक्तियां सौंपने के बारे में सरकार का निर्णय।	
		सरकार के विभाग।	विभागाध्यक्ष।	सरकार के विभाग।	विभागाध्यक्ष।
१	२	३	४	५	६
१	साइकिल मरम्मती पर खर्च का अधिकार (बिहार वित्तीय नियमावली भाग–२ के परिशिष्ट–५ की मद सं० ३)।	५० रु० प्रति साइकिल प्रति वर्ष केवल मरम्मती के लिये।	५० रु० प्रति साइकिल प्रति वर्ष।	५० रु० प्रति साइकिल प्रति वर्ष मरम्मती के लिये तथा ५० रु० प्रति वर्ष प्रति साइकिल टायर-ट्यूब के बदलाव पर, बशर्ते कि खर्च बजट उपबन्ध के अन्तर्गत किया जाय एवं विभागीय प्रधान/विभागाध्यक्ष जांच कर स्वयं संतुष्ट हों कि प्रस्तावित मरम्मती उचित एवं आवश्यक है।	यथा स्तम्भ ५ में।
२	स्थायी अग्रिम की निकासी का अधिकार (वित्तीय नियमावली भाग–१ का नियम ११२)।	सामान्य रुप से कोई शक्ति नहीं।	अलग-अलग विभागाध्यक्षों को भिन्न-भिन्न स्थायी अग्रिम निकासी की शक्ति।	२००० रु० बशर्ते :— (i) महालेखाकार से इसका अनुमान्यता प्रतिवेदन-पत्र प्राप्त कर लिया जाय। (ii) इसका समुचित एवं अद्यतन लेखा रखा जाय। टिप्पणी—यदि किन्हीं को इससे अधिक शक्ति पूर्व से ही प्रत्यायोजित है, तो उसमे कमी नहीं की जायगी।	५०० रु० बशर्ते :— (i) महालेखाकार से अनुमान्यता प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय। (ii) इसका समुचित एवं अद्यतन लेखा रखा जाय। टिप्पणी—यदि किन्हीं को इससे अधिक शक्ति पूर्व से ही प्रत्यायोजित है, तो उसमें कमी नहीं की जायगी।
३	राजपत्रित पदाधिकारियों को उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति। (बिहार सेवा संहिता के नियम २२७—२३२)।	पूर्ण शक्ति	शून्य	आवश्यक नहीं	(क) अधीनस्थ राजपत्रित पदाधिकारियों को एक महीने की पूर्ण वेतन पर उपार्जित छुट्टी या अर्द्ध-वेतन पर छुट्टी देने की शक्ति, बशर्ते कि :— (i) किसी प्रतिस्थानी की मांग नहीं की जाय।

१	२	३	४	५	६
					(ii) इसकी सूचना महालेखाकार से प्राप्त अनुमान्यता प्रतिवेदन के आधार पर की जाय। (iii) राजपत्रित पदाधिकारियों को नियमानुसार एक माह का अवकाश वेतन अग्रिम स्वीकृत करने की शक्ति।
४	लेखन सामग्रियों के स्थानीय क्रय की स्वीकृति (नियम-१४ बिहार लेखन-सामग्री हस्तक। प्रशासनिक सुधार का परिपत्र संख्या ४७६१, दिनांक २८ अक्तूबर, १९७१ मद सं० १५)।	३०० रु० प्रति वर्ष	५० रु० प्रति वर्ष	५०० रु० प्रतिवर्ष, बशर्ते की निश्चित अवधि में राजकीय लेखन सामग्री भंडार से लेखन सामग्री अनुपलब्ध होने पर ही स्थानीय क्रय किया जाय।	३०० रु० प्रतिवर्ष, बशर्ते कि निश्चित अवधि में राजकीय लेखन सामग्री भंडार से लेखन सामग्री अनुपलब्ध होने पर ही स्थानीय क्रय किया जाय।
५	विशेष आकस्मिकताएं। ऐसे चार्ज (व्यय) जिन्हें सक्षम पदाधिकारी की मंजूरी बिना कार्य नहीं किये जा सकते हैं। (बिहार वित्तीय नियमावली खंड-१ नियम-११०, प्र० सु० का परिपत्र संख्या ४७६१, दिनांक २८ अक्तूबर, १९७१ मद सं० ५)।	बजट उपबंध रहने और समय-समय पर सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, हरेक मामले में विशेष आकस्मिकताएं मद में १००० रु० तक खर्च करने की शक्ति।	सामान्य रूप से कोई शक्ति।	(१) बजट उपबंध रहने पर और समय-समय पर सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के अधीन हरेक मामले में विशेष आकस्मिकतायें के मद में २००० रु० तक खर्च करने की शक्ति। टिप्पणी—जिन विभागों/विभागाध्यक्षों को उक्त सीमा से अधिक की शक्ति पूर्व से प्रदत्त है, उसमें कमी नहीं की जायेगी।	बजट उपबन्ध रहने पर और समय-समय पर सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के अधीन हरेक मामले में आकस्मिकताएं के मद में १००० रु० तक खर्च करने की शक्ति। टिप्पणी—जिन विभागों/विभागाध्यक्षों को उक्त सीमा से अधिक की शक्ति पूर्व से प्रदत्त हैं उसमें कमी नहीं की जायेगी।
६	विलम्ब शुल्क की स्वीकृति देना। (बिहार वित्तीय नियमावली खंड-१ का नियम-११० और १२०, बिहार वित्तीय नियमावली खंड-२ का मद	विहित उपबंधों के अधीन सरकारी विभागों को हर मामले में ५०० रु० तक की शक्ति।	विहित उपबंधों के अधीन विभागाध्यक्षों को हर मामले में १०० रु० तक की शक्ति।	यथा स्तम्भ-३	हर मामले में २५० रु० तक विलम्ब शुल्क का भुगतान मंजूर करने की शक्ति बशर्ते :— (i) बजट में उपबंध हो।

१	२	३	४	५	६
	[illegible]० १५ तथा प्र० [illegible] के परिपत्र सं० ४७६। की मद [illegible] ६)।				(ii) किसी सरकारी सेवक की असावधानी से विलम्ब शुल्क देने की स्थिति में स्वीकृति से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाय। टिप्पणी--विलम्ब शुल्क (डेमरेज चार्ज) शब्द के अन्तर्गत [illegible] चार्ज आते हैं, जिन्हें रेलवे, डाक प्राधिकारी आदि द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब, चाहे वैगन रोके जाने, या माल [illegible] उतारने में देर अथवा रेलवे अहाता [illegible] सवाहन शेडों ([illegible] ट्रांजिट शेड), या यार्ड आदि से निर्धारित समय बीतने के बाद माल, असबाब और पार्सल आदि न हटाने में [illegible] तथा इसमें [illegible] ([illegible] चार्जें) [illegible]।
[illegible]	[illegible] के लिये [illegible] आफिस [illegible] की [illegible]। [illegible] तथा [illegible] खंड-२ [illegible] ५ के [illegible] 'क' की मद सं० ८ तथा प्रशासनिक सुधार का परिपत्र संख्या [illegible] दिनांक २८ [illegible] १९७१ की मद [illegible] ६)।	२५० रु० प्रति साईकिल विहित शर्तों के साथ।	शून्य	३०० रु० प्रति साईकिल क्रय करने की शक्ति बशर्ते :-- (i) बजट में उपबन्ध हो। (ii) सरकारी साईकिलों का उपयोग निजी (प्राइवेट) प्रयोजन में नहीं किया जाय। (iii) ऐसी किसी खरीद की मंजूरी देने के पहले मंजूरी प्राधिकारी इस बात पर विचार कर लें कि साईकिल का उपयोग करने में समय में जो बचत होगी उसे मद्दे नजर रखते हुए, सम्बद्ध कार्यालय के निचले कर्मचारीवर्ग में कोई कटौती की जा सकती है या नहीं।	३०० रु० [illegible] साईकिल [illegible] बशर्ते [illegible] (i) बजट में उपबन्ध हो। (ii) [illegible] साईकिलों का उपयोग निजी (प्राइवेट) प्रयोजन में [illegible] किया [illegible] (iii) [illegible] की मंजूरी देने के पहले [illegible] कारी [illegible] विचार कर लें [illegible] साईकिल का उपयोग करने [illegible] समय में [illegible] होगी उसे मद्दे नजर [illegible] हुए, [illegible] के निचले कर्मचारीवर्ग में कोई कटौती की जा सकती है या नहीं।

१	२	३	४	५	६
८	बिजली पखे के भाड़े की स्वीकृति।	५० रु० प्रति वर्ष	५० रु० प्रति वर्ष	बजट में उपबंध रहने पर १०० रु० प्रतिवर्ष खर्च करने की शक्ति।	बजट में उपबंध रहने पर १०० रु० प्रतिवर्ष खर्च की शक्ति।
९	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्वाचन में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवकों को यात्रा-भत्ता विपत्रों की जाच एव तदर्थ स्वीकृति।	शून्य	शून्य	..	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पूर्ण शक्ति। टिप्पणी—बिहार-कोषागार सहिता के भाग १ के नियम १४३ में सशोधन किया जायगा।
१०	कार्यालय-व्यवहार के लिये निर्माता से सीधे टंकण-यत्र क्रय करने की शक्ति। (बिहार वित्तीय नियमावली खड-२ के अनुबध ४६ तथा प्रशासनिक सुधार के परिपत्र स० ४७६१, दिनांक २८ अक्टूबर १९७१, की मद स० १८)।	प्रति वर्ष अधिक से अधिक २,००० रु० तक बशर्ते की निधि उपबंध हो और अंग्रेजी टंकण-यंत्र के सबंध में मंत्रिमंडल (राजभाषा) विभाग की सहमति प्राप्त हो जाय।	शून्य	पूर्ण शक्तियां बशर्ते कि— (i) राजकीय भंडार गुलजारबाग द्वारा ४ माह के अन्तर्गत आपूर्ति करने का आश्वासन न मिले। (ii) स्कीम में स्वीकृति प्राप्त हो। (iii) बजट में उपबंध हो। (iv) टंकक के स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक कुल टंकण-यंत्र की संख्या किसी कार्यालय के लिये नहीं हो।	पूरी शक्तियां बशर्ते कि— (i) राजकीय भंडार गुलजारबाग द्वारा ४ माह के अन्तर्गत आपूर्ति करने का आश्वासन न मिले। (ii) स्कीम में स्वीकृति प्राप्त हो। (iii) बजट में उपबंध हो। (iv) टंकक के स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक कुल टंकण-यंत्र की संख्या किसी कार्यालय के लिये नहीं हो।

ज्ञाप संख्या सी० डी० आर० ६०१/७४--६६७१-वि० ।

बिहार सरकार

वित्त विभाग ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग,सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक ।

पटना, दिनांक ३ सितम्बर, १९७४ ।

विषय--मोटर गाड़ियों के मरम्मत के मद में अतिरिक्त वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि मन्त्रिमंडल सचिवालय के ज्ञाप संख्या ४७६१, दिनांक २८ अक्टूबर, १९७१ द्वारा विभागों को मोटर गाड़ियों की मरम्मती हेतु प्रत्येक भारी गाड़ी प्रति वर्ष २,५०० रु० तक एवं हल्की गाड़ी के लिये प्रति गाड़ी १,५०० रु० प्रति वर्ष तक व्यय करने की शक्तियां कुछ शर्त्तों के साथ प्रत्यायोजित की गयी हैं। परन्तु राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि मोटर गाड़ियों की मरम्मती के मद में विभागाध्यक्षों एवं संबंधित स्थानीय कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारियों को ऐसी कोई शक्ति नहीं प्रत्यायोजित रहने के कारण बहुत से स्थानीय कार्यालयों की गाड़ियां बेकार पड़ी रहती हैं जिसके फलस्वरुप स्थानीय कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारियों को दिनानुदिन के कार्य में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं कार्य की गति अवरुद्ध हो जाती है ।

२ । अतः राज्य सरकार ने इस संबंध में सतर्कता के साथ पुनर्विचार कर विभिन्न विभागों/विभागाध्यक्षों एवं स्थानीय कार्यालय के कार्यालय-प्रधानों को सरकारी मोटर गाड़ियों की मरम्मती एवं जीर्ण-शीर्ण पुर्जों के बदलाव के लिये निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया है :--

किस प्राधिकार को शक्ति प्रत्यायोजित की जायगी ।	किस कार्य के लिये शक्ति प्रत्यायोजित की जायगी ।	प्रत्यायोजित शक्ति का स्वरुप ।
१ सभी सरकारी विभाग	मोटर गाड़ी की मरम्मती एवं पुर्जों का बदलाव ।	पूर्ण शक्ति बशर्ते कि-- (१) इस कार्य के लिये बजट में उपबंध उपलब्ध हो । (२) एक मोटर गाड़ी पर एक बार ५०० रु० से अधिक व्यय करने के लिये मोटर गाड़ी निरीक्षक का या कार्यपालक अभियंता के अन्यून पंक्ति के किसी प्राधिकृत यांत्रिक अभियंता का प्रमाण पत्र प्राप्त हो । (३) बदलाव और मरम्मती का हर कार्य एक पंजी में दर्ज किया जाय जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिका ४ में किया गया है ।
२ विभागाध्यक्ष	मोटर गाड़ी की मरम्मती एवं पुर्जों का बदलाव ।	प्रतिवर्ष प्रति गाड़ी पर ४,००० रु० तक खर्च करने का अधिकार दिया जाय बशर्ते कि :-- (१) इस कार्य के लिये बजट में उपबंध उपलब्ध हो । (२) एक मोटर गाड़ी पर एक बार ५०० रु० से अधिक व्यय करने के लिये मोटर गाड़ी निरीक्षक का या कार्यपालक अभियंता के अन्यून पंक्ति के किसी प्राधिकृत यांत्रिक अभियंता का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो । (३) बदलाव और मरम्मती का हर कार्य एक पंजी में दर्ज किया जाय जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिका ४ में किया गया है ।

किस प्राधिकार को शक्ति प्रत्यायोजित की जायगी।	किस कार्य के लिये शक्ति प्रत्यायोजित की जायगी।	प्रत्यायोजित शक्ति का स्वरुप।
३ कार्यालय-प्रधान जो मोटर गाड़ी के प्रभारी प्राधिकारी हैं।	मोटर गाड़ी की मरम्मती एवं पुर्जों का बदलाव।	प्रति वर्ष प्रति गाड़ी पर दो हजार रुपये व्यय करने का अधिकार दिया जाय बशर्ते कि :— (१) बैटरी क्षय करने के दो साल के पहले नयी बैटरी नहीं खरीदी जाय। (२) गाड़ी २४ हजार किलोमीटर चलने के बाद ही आवश्यकता रहने पर गाड़ी का ट्यूब एवं टायर बदला जाय। (३) गाड़ी को बेचने वाले डीलर की गारंटी की अवधि में तथा उसके शेष हो जाने की तिथि के बाद एक साल तक १०० रु० से अधिक व्यय पर कल-पुर्जे गाड़ी के लिये नहीं खरीदे जाय। (४) इस कार्य के लिये बजट में उपबंध उपलब्ध हो। (५) एक मोटर गाड़ी पर एक बार ५०० रु० से अधिक व्यय करने के लिये मोटर गाड़ी निरीक्षक का या कार्यपालक अभियंता के अन्यून पंक्ति के सभी प्राधिकृत यांत्रिक अभियंता का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो। यदि ये पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हों तो मरम्मती का आदेश निर्गत करने के पहले अपने से उच्चतर प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। (६) बदलाव और मरम्मती का हर कार्य एक पंजी में दर्ज किया जाय जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिका ४ में किया गया है।

३। इस प्रसंग में यह कहना शायद अनावश्यक नहीं होगा कि किसी भी कार्यालय के जो प्रधान-पदाधिकारी होते हैं, वे ही उस कार्यालय के कार्यालय-प्रधान समझे जाते हैं। उदाहरणार्थ अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के कार्यालय-प्रधान अनुमंडल पदाधिकारी ही समझे जायेंगे तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के कार्यालय-प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी हों। अतः कंडिका २ की क्रम संख्या ३ के अधीन जो शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं उसका उपयोग वे लोग तथा गाड़ी के प्रभारी अन्य कार्यालय-प्रधान न कर सकेंगे।

४। गाड़ियों की मरम्मती पर उचित नियंत्रण रखने के लिये विभाग के स्तर पर, विभाग, विभागाध्यक्ष के स्तर पर तथा कार्यालय-प्रधान अथवा गाड़ी के प्रभारी पदाधिकारी के स्तर पर गाड़ी मरम्मती पंजी रखी जाय। गाड़ी की मरम्मती के संबंध में आवश्यक सूचनाएं उक्त पंजी में संलग्न प्रपत्र में दर्ज की जायगी। इस पंजी में हरेक गाड़ी के लिये चार-पांच पृष्ठ आवंटित किया जाय और विभाग के नियंत्रण में जितनी भी गाड़ियां रहें उन्हें इस पंजी में दर्ज किया जाय। विभागाध्यक्ष तथा कार्यालय-प्रधान जब भी गाड़ियों की मरम्मती करायेंगे, तो वे उपर्युक्त संलग्न प्रपत्र (Form) में एक रिटर्न संबंधित विभाग तथा विभागाध्यक्ष क्रमशः को भेजेंगे ताकि जो भी व्यय हुआ हो, उसे विभाग द्वारा रखी गई गई पंजी में पेस्ट किया जा सके। जो गाड़ी एक महीने से अधिक अवधि के लिये बेकार पड़ी हो उसके संबंध में गाड़ी के प्रभारी पदाधिकारी विभागाध्यक्ष तथा विभाग को सूचना दें और यह बात पंजी में अंतिम स्तम्भ में तिथि के साथ दर्ज की जाय।

५। यह आदेश निर्गम की तिथि से अगले आदेश तक लागू रहेगा। सरकार द्वारा मोटर गाड़ियों की मरम्मती एवं पुर्जे के बदलाव के संबंध में पहले निर्गत किये गये निदेश उपर्युक्त कंडिका २ में दिये गये आदेश के आलोक में संशोधित या अवक्रमित समझा जायेगा।

६। सभी अधीनस्थ कार्यालयों को ऊपर में दी गयी शक्तियों से अवगत कराया जाय।

(ह०) सुशील बन्धु भौमिक,

सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या सी० डी० आर० ६०१/७४—६६७१-वि० ।

पटना, दिनांक ३ सितम्बर, १९७४ ।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, रांची/पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०) सुशील बन्धु भौमिक
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञाप संख्या ६६७१-वि० ।

पटना, दिनांक ३ सितम्बर १९७४ ।

प्रतिलिपि मंत्रिमंडल सचिवाय (प्रशासनिक सुधार शाखा), पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०) सुशील बन्धु भौमिक
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञाप संख्या ६६७१-वि० ।

पटना, दिनांक ३ सितम्बर, १९७४ ।

प्रतिलिपि वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/स्थापना शाखा/लेखा शाखा/प्रेस शाखा, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०) सुशील बन्धु भौमिक
सरकार के उप-सचिव ।

गाड़ी मरम्मती पंजी ।

फार्म का नमूना ।

१ । गाड़ी की श्रेणी तथ निबन्धन संख्या

२ । क्रय की तिथि

३ । क्रय के समय कुल राय

४ । गाड़ी के नियंत्रण पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि ।	स्पेयर पार्ट्स का ब्यौरेवार वर्णन तथा कीमत	श्रम व्यय ।	मरम्मती पर कुल व्यय ।	माइल मीटर का रिडींग ।	स्वीकृत प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर ।	प्रस्तुति ।
१	२	३	४	५	६	७

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(प्रशासनिक सुधार।)

शुद्धि-पत्र
७ अप्रील १९७६

विषय--सरकार के विभागों/विभागाध्यक्षों के वित्तीय शक्तियों की विस्तार के सम्बन्ध में।

सं० मं० म० प्र० सु० २-२०१६/७४--६७-प्र० सु०--मंत्रिमण्डल सचिवालय (प्रशासनिक सुधार) से निर्गत सरकारी संकल्प संख्या ६२-प्र० सु०, दिनांक ६ सितम्बर १९७४ के परिशिष्ट की मद संख्या १४ के स्तम्भ ३ एवं ५ में विहित शर्त (ग) :--

"स्कीम मद्दे खर्च के लिये मंजूर रकम में मंजूर पदों के लिये वार्षिक वेतन-वृद्धि न की जाय।"

के स्थान पर निम्नांकित शर्त पढ़ी जाय :--

"स्कीम मद्दे खर्च के लिये मंजूर रकम में मंजूर पदों के लिये वार्षिक वेतन-वृद्धि के सिवा कोई अन्य वृद्धि न की जाय।"

सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के अवर-सचिव।

सं० ६२-प्र० सु०।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(प्रशासनिक सुधार शाखा)

संकल्प
६ सितम्बर १९७४

विषय--सरकार के विभागों तथा विभागाध्यक्षों की वर्तमान प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विस्तार।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (प्रशासनिक सुधार शाखा) से निर्गत सरकारी संकल्प संख्या मं०म०/प्र०सु०२-१०१५/७१--४७६१, दिनांक २८ अक्तूबर १९७१ द्वारा वित्तीय मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु सरकार के विभागों की ... अत ... प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विस्तार किया गया। तत्पश्चात् विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय-प्रधानों, ... निर्माण विभाग से सम्बन्धित, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के विस्तार का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन रहा और इस दिशा में सम्बन्धित विभागाध्यक्षों, आदि के मंतव्य प्राप्त कर, अनुशंसा देने का भार "शक्ति प्रत्यायोजन समिति" को सौंपा गया।

२। उक्त समिति की अनुशंसाओं पर विचारण के पश्चात् सरकार ने विभागों, निर्माण विभाग से संबंधित विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय-प्रधानों तथा अन्य विभागाध्यक्षों को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के विस्तार हेतु जो निर्णय लिये हैं, वे परिशिष्ट के रूप में अनुलग्न हैं। इन निर्णयों में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

३। सम्बन्धित विभागों से अनुरोध किया जाय कि वे इन सरकारी निर्णयों के अनुरूप सम्बन्धित नियमों, संहिताओं, परिपत्रों, आदि के संशोधन शीघ्र प्रकाशित करें।

४। इन आदेशों के फलस्वरूप जिन वित्तीय मामलों का निष्पादन विभागों और सचिवालय से संलग्न विभागाध्यक्षों द्वारा किया जायगा, उनमें विभाग के आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की पूर्व सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी और स्वीकृत्यादेश में यह उल्लेख किया जाय कि सम्बन्धित आदेश इस संकल्प के अन्तर्गत निर्गत किया गया है। स्वीकृत्यादेश की एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (प्रशासनिक सुधार शाखा) तथा वित्त विभाग को भी निश्चित रूप से भेजी जाय।

५। ये आदेश तुरत लागू होंगे।

आदेश--इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/संलग्न कार्यालयों/विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट

शक्तियों का स्वरूप एवं प्राधिकार।	मौजूदा शक्तियां।		और भी अधिक शक्तियां सौंपने के बारे में सरकार का निर्णय।	
	सरकार के विभाग।	विभागाध्यक्ष।	सरकार के विभाग।	विभागाध्यक्ष।
२	३	४	५	६
बिहार अभियंत्रण-सेवा (वर्ग २) के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन (बिहार सेवा संहिता का नियम ५६)।	अभी मंत्री का आदेश प्राप्त करना पड़ता है।	शून्य ..	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग तथा नियुक्ति विभाग/कार्मिक विभाग से समय-समय पर इस संबंध में निर्गत सरकारी आदेशों के अन्तर्गत ही इस विषय का निष्पादन किया जाय।	यथा स्तम्भ ५ में
जो राजपत्रित सरकारी सेवक वाह्य सेवा में नहीं है, उन्हें १८३, १९१, २०१, २०२, २०३, २०४, २३९ नियमों और परिशिष्ट १ के नियम २० के अधीन छुट्टी तथा विशेष छुट्टी की स्वीकृति (बिहार सेवा संहिता के नियम [illegible] के अधीन)।	वर्त्तमान प्रावधान के अनुसार मंत्री का आदेश प्राप्त करना पड़ता है।	शून्य ..	..	मुख्य अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता को सहायक अभियन्ताओं को क्रमशः ६० दिनों और ३० दिनों तक की उपार्जित छुट्टी देने की शक्ति, बशर्ते कि किसी प्रतिस्थानी की माग नहीं की जाय।
पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोपों का निस्तार— (क) बेनाम और छद्मनाम। (ख) अन्य।	वर्त्तमान में कोई परिभाषित उपबन्ध नहीं है।	शून्य ..	आरोप-पत्रों के निस्तार के लिये नियुक्ति विभाग (कार्मिक विभाग) के परिपत्र सं० १०२५१, दिनांक २९ अगस्त १९५८ में विहित प्रक्रियाओं का ही पालन किया जाय। ऐसा करने में निम्नांकित बातें	यथा स्तम्भ ५ में

१	२	३	४	५	६
				ध्यान में रखी जायें :-- (क) जबतक किसी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या आरोप (प्राइमा फेसी केस) सिद्ध न हो जाय, तबतक किसी की प्रोन्नति दक्षता-रोक अथवा सम्पुष्टि में आरोपों के कारण कोई रुकावट नहीं हो। (ख) जिस वर्ष में प्रोन्नति, दक्षता-रोक तथा सम्पुष्टि देय हो, उस वर्ष तक की अभियुक्तियों तथा रिपोर्टों पर आमतौर से विचार कर निर्णय लिया जाय तथा बाद में केवल उन्हीं रिपोर्टों पर विचार किया जाय, जहां प्रथम दृष्ट्या आरोप (प्राइमा फेसी केस किसी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रमाणित हो गया हो।	
	प्रशासनिक अनुमोदन देने की शक्ति (नियम २२२, बिहार वित्त नियमावली खंड १) (पी० डब्लू० डी० कोड का नियम २२)।	..	मुख्य अभियन्ता एवं अपर मुख्य अभियन्ता को—(क) न्यू कैपिटल एरिया, पटना एवं रांची को छोड़कर आवासीय भवनों के लिये पांच हजार रुपया तक।	..	आरक्षी महानिरी[illegible] तथा निर्माण-कार्य[illegible] सम्बन्धित विभा[illegible] ध्यक्षों को [illegible] मरम्मती के [illegible] पचास हजार रु[illegible] तक की स्कीम [illegible] लिये प्रशास[illegible]

१	२	३	४	५	६
			(ख) गैर-आवासीय भवनों के लिये दस हजार रुपये तक—		अनुमोदन देने की शक्ति।
			(i) सचिवालय भवनों (अस्थायी बैरकों सहित), पटना एवं रांची को छोड़कर। (ii) विधायी भवनों, (iii) ऐसे भवनों को जो आवासीय हेतु व्यवहार में लाये जाते हैं, परन्तु जो गैर-आवासीय भवनों के अन्तर्गत आते हैं।		टिप्पणी—यह शक्ति केवल गैर-आवासीय भवनों के लिये ही रहेगी और मरम्मती के काम में दीवाल आदि का निर्माण शामिल नहीं होगा।
५ निविदा की स्वीकृति [बिहार वित्तीय नियमावली (खंड १) के नियम २३५]।	इसमें उपबन्ध के अनुसार दो सौ रुपये से अधिक प्रत्येक प्राक्कलित रकम के लिये निविदा आमंत्रित करना पड़ता है।			सरकार के सभी विभागों तथा विभागाध्यक्षों को दो हजार रुपयों तक की स्वीकृति रकम के लिये निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी।	यथा स्तम्भ ५ में।
६ टूल्स और प्लांट्स [बिहार पी० डब्लू० डी० कोड का नियम २९२ (viii)]।	...	कार्यालय उपस्कर, लाइवस्टोक तथा टेन्ट को छोड़कर टूल्स और प्लान्ट्स के बनाने, खरीदने तथा मरम्मत के सबंध में बजट में उपबन्ध रहने पर मुख्य अभियन्ता को पूर्ण शक्ति।	—	यदि विभाग समझे, तो वित्त विभाग की सहमति से विभागाध्यक्षों को अन्य वाहनों यथा जीप, ट्रक, रोड रोलर, आदि के क्रय की शक्ति भी प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
७ अपलेखन बिहार वित्तीय नियमावली, खंड १ का नियम ९३ (बिहार पी० डब्लू० डी० कोड के नियम २९२ (ix) तथा २९३ (xii)।	...	इसके अधीन मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता को ऐसे सभी मामलों में जहां वसूली अव्यावहारिक हो, कुछ प्रतिबंधों के साथ हर मामले में पांच सौ रुपये तक करने की शक्ति।	...	निर्माण-कार्यों से संबंधित सभी विभागाध्यक्षों को एक हजार रुपये तक की रकम अपलेखित करने की शक्तियां।

१	२	३	४	५	६
	...की स्वीकृति [बिहार वित्तीय नियमावली (खंड-१) का नियम २५२]।	..	किसी स्वीकृत प्राक्कलन में ५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, रेट कम पाये जाने या अन्य किसी कारण से हो, तो उस केस में पुनरीक्षित प्राक्कलन उपस्थापित करना आवश्यक है।	.	किसी स्वीकृत प्राक्कलन में २० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि रेट कम पाये जाने या अन्य किसी कारण से हो, तो वैसे मामले में ही पुनरीक्षित प्राक्कलन उपस्थापित करना आवश्यक होगा।
९	प्रशासनिक अनुमोदन का अतिक्रमण [बिहार वित्तीय नियमावली (खंड-१) का नियम २२५]।	जहां प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से आवासीय भवनों में ५ प्रतिशत तथा गैर-आवासीय भवनों एवं संचार-निर्माण कार्यों में १० प्रतिशत से अधिक खर्च की संभावना हो जाती है, वहां पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन अपेक्षित है।	जहां प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से आवासीय भवनों में ५ प्रतिशत तथा गैर-आवासीय भवनों एवं संचार-निर्माण कार्यों में १० प्रतिशत से अधिक खर्च की संभावना हो जाती है, वहां पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन अपेक्षित है।	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से आवासीय भवनों के मामलें में १० प्रतिशत तथा गैर-आवासीय भवनों एवं संचार-निर्माण कार्यों के मामलों में १५ प्रतिशत से अधिक खर्च की संभावना होने पर ही पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक होगा।	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि में आवासीय भवनों के मामलों में १० प्रतिशत तथा गैर-आवासीय भवनों एवं संचार-निर्माण कार्यों के मामलों में १५ प्रतिशत से अधिक खर्च की सम्भावना होने पर ही पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक होगा।
१०	गैर-आवासीय भवनों को किराये पर लेना [बिहार पी०डब्लू० डी० कोड का नियम २९२ (xi) एवं नियम २९३ (x) (वित्त विभाग के परिपत्र संख्या १३८२३, दिनांक ८ दिसम्बर १९६४ द्वारा संशोधित)।	..	(i) मुख्य अभियंता— प्रत्येक भवन के लिए ढाई सौ रुपये तक प्रतिमाह। (ii) अधीक्षण अभियंता— प्रत्येक भवन के लिए ढाई सौ रुपये तक प्रति माह। (iii) अधीक्षण अभियंता— प्रत्येक भवन के लिए ढाई सौ रुपये तक प्रतिमाह। मुख्य अभियंता को पूरी शक्ति।	.	(i) पांच सौ रुपये तक प्रतिमाह पर गैर-आवासीय भवन किराया लेने हेतु सभी विभागाध्यक्षों को पूरी शक्तियां। (ii) कार्यपालक अभियंता को गैर-आवासीय भवन किराये पर लेने हेतु ढाई सौ रुपये तक प्रतिमाह की शक्ति। मुख्य अभियंता को सहायक अभियंताओं को भी बदली करने की शक्ति।
११	अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग, कार्यपालक लिपिक भृत्य की बदली [लोक-निर्माण विभागीय आदेश संख्या ३८५९, दिनांक ११ मई १९५०, आदेश सं० २०९, दिनांक २३ जनवरी १९५० तथा आदेश सं० ९३०, दिनांक १३ फरवरी १९५०)।				

१	२	३	४	५	६
१२	सरकारी सेवक के मुख्यालय विहित करने की शक्ति (बिहार-सेवा संहिता के नियम २०)।		शून्य		मुख्य अभियंता को भी अनुमण्डलीय अभियंता तथा कनीय अभियंता के मुख्यालय विहित करने की शक्ति, बशर्ते कि किसी वित्तीय भार का प्रश्न नहीं उठे।
१३	नयी योजना--स्कीमों की स्वीकृति (बिहार बजट हस्तक के नियम ८६, ९०, ९२, ९३ संहित सचिवालय अनुदेश का नियम ७.१८)।	सरकारी विभाग ऐसी हरेक नयी योजना स्कीमों की मंजूरी दे सकेंगे जिसका-- (i) वार्षिक आवर्तक खर्च एक लाख रुपये तक हो; (ii) वार्षिक अनावर्तक खर्च पांच लाख रुपये तक हो, बशर्ते कि :-- (क) कोई गाड़ी खरीदनी नहीं हो; (ख) किसी ऐसे राजपत्रित या अराजपत्रित पद का सृजन न किया जाय, जो अनुमोदित वेतनमान से बाहर का हो और जो पद सृजन के लिए विहित मापदंड के अनुसार न्यायोचित न हो, तथा द्वितीय श्रेणी (वरीय की पंक्ति के ऊपर का पद सृजन न किया जाय। (ग) योजना और बजट दोनों में उपबन्ध हो।	मुख्य अभियंता को विशिष्ट बजट उपबंध रहने पर दस हजार पये खर्च तक नयी योजना की मंजूरी करने की शक्ति। अधीक्षण अभियंता को विशिष्ट बजट उपबंध रहने पर पांच हजार रुपये खर्च तक नयी योजनाओं की मंजूरी करने की शक्ति।	सरकारी विभाग योजना --स्कीमों के अन्तर्गत हर ऐसी नयी योजना की मंजूरी दे सकेंगें जिसका-- (i) वार्षिक आवर्तक खर्च ढ़ाई लाख रुपये हो। (ii) वार्षिक अनावर्तक खर्च पन्द्रह लाख रुपये तक हो, बशर्ते कि :- (क) कोई गाड़ी खरीदनी नहीं हो; (ख) किसी ऐसे राजपत्रित या अराजपत्रित पद का सृजन न किया जाय जो अनुमोदित वेतनमान से बाहर का हो और जो पद सृजन के लिए विहित मापदंड के अनुसार न्यायोचित न हो तथा द्वितीय श्रेणी (वरीय) की पंक्ति के ऊपर का पद सृजन न किया जाय। (ग) योजना और बजट दोनों में उपबन्ध हो। टिप्पणी—वार्षिक आधार पर नवीकरण की जाने वाली स्कीम को अनावर्तक नहीं माना जायगा।	कोई परिवर्तन नहीं।

१	२	३	४	५	६
१४	चालू स्कीमों का विस्तार, मंजूर करने की शक्ति (सचिवालय अनुदेश ७.१८)।	सरकारी विभाग वार्षिक आधार पर ऐसे हरेक चालू योजना स्कीमों का अवधि विस्तार मंजूर कर सकेंगे जिसका— (i) आवर्तक वार्षिक खर्च दो लाख रुपये तक हो ; (ii) अनावर्तक वार्षिक खर्च सात लाख रुपये तक हो । बशर्ते कि :— (क) इसमें कोई नया पद शामिल नहीं किया जाय । (ख) खर्च की कोई नयी मद शामिल नहीं की जाय । (ग) स्कीम मद खर्च के लिए मंजूर पदों के लिए वार्षिक वेतन-वृद्धि न की जाय । (घ) अनावर्तक खर्च में से उतना घटा दिया जाय, जितना पिछले वर्ष खर्च हो चुका हो । (च) योजना और बजट दोनों में उपबंध हो ।		चालू योजना स्कीमों के विस्तार हेतु सरकारी विभाग वार्षिक आधार पर ऐसे हरेक चालू योजना स्कीमों/गैर-योजना स्कीमों का अवधि विस्तार मंजूर कर सकेंगे जिसका :— (क) योजना स्कीम— (i) वार्षिक आवर्तक खर्च ढाई लाख रुपये तक हो । (ii) वार्षिक अनावर्तक खर्च दस लाख रुपये तक हो । (ख) गैर-योजना स्कीम :— (i) आवर्तक वार्षिक खर्च एक लाख रुपया हो । (ii) अनावर्तक वार्षिक खर्च ५ लाख रुपया तक हो । बशर्ते कि :— (क) इसमें कोई नया पद शामिल नहीं किया जाय । (ख) खर्च की कोई नयी मद शामिल न किया जाय । (ग) स्कीम मद खर्च के लिए मंजूर रकम में मंजूर पदों के लिए वार्षिक वेतन-वृद्धि के सिवा कोई अन्य वृद्धि न* की जाय । (घ) अनावर्तक खर्च मे से उतना घटा दिया जाय, जितना पिछले वर्ष खर्च हो चुका हो ।	

*अधिसूचना संख्या ६७-प्र०, दिनांक अप्रैल ७, १९७६ के जरिए जोड़ा गया है ।

२	३	४	५	६
(क्रम सं० १४ लगातार)—			(च) योजना स्कीम के लिए योजना और बजट दोनों में तथा गैर-योजना स्कीम के लिए बजट में उपबन्ध हो। टिप्पणी - (i) वार्षिक आधार पर नवीकरण की जानेवाली स्कीम को अनावर्त्तक नहीं माना जायगा। (ii) स्कीमों का अवधि-विस्तार विभागों द्वारा रुटीन ढग से न किया जाय, बल्कि इन स्कीमों की आर्थिक एवं सामाजिक लाभ तथा पिछले साल के पारफरमेंस को देखते हुए ही अवधि विस्तार के संबंध में निर्णय लिया जाय। कभी-कभी ऐसी योजनायें आती हैं, जिससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होने पर भी स्कीमों की अवधि-विस्तार होती रहती है। जो स्कीम ३ वर्षों तक चालू रह गया हो, चौथे वर्ष के लिए उसकी अवधि विस्तार करने के पूर्व विभाग द्वारा स्कीम का कुछ-न-कुछ मूल्यांकन अवश्य कर लेना चाहिए ताकि विभाग यह जान पाये कि खर्च किये जाने वाले रुपये नष्ट तो नहीं हो रहे हैं।	

१	२	३	४	५	६
१५	गैर-मानक प्रपत्र के मुद्रण की मंजूरी करने की शक्ति (बिहार वित्तीय नियमावली संहिता २ के परिशिष्ट ५ के अनुबंध "क" की मद १)।	..	शून्य	पूर्ण शक्ति। बशर्ते कि :— (i) अधीक्षक, सरकारी प्रेस से इस बात का प्रमाण-पत्र पहले लिया जाय कि उनके पास इन प्रपत्रों को शीघ्र मुद्रित कराने का समय अथवा व्यवस्था नहीं है। (ii) स्थानीय प्रेसों से निविदा ले लिये जाय और जिनका रेट कम हो, उसके यहां प्रपत्र मुद्रित कराया जाय। अधीक्षक, सरकारी प्रेस को ऐसा आदेश दिया जा सकता है कि वे उत्तर देने में विलम्ब नहीं करें। निविदा मंगवाने के बारे में, जो सामान्य छूट दी गयी है वह इसमें भी लागू रहेगी।	सचिवालय से सल विभागाध्यक्षों को मद में पचीस रुपया तक वार्षि खर्च की शक्ति। बशर्ते कि :— (i) अधीक्षक सरकारी प्रेस इस बात प्रमाण-पत्र लिया जाय उनके पास इ प्रपत्रों को शी मुद्रित करा का समय नहीं है। (ii) स्थानीय प्रेस से निविदा ले लिये जायं और जिनका रेट कम हो, उसके यह प्रपत्र मुद्रित कराया जाय। अधीक्षक, सरकारी प्रेस को ऐसा आदेश दिया जा सकता है कि वे उत्तर देने में विलम्ब नहीं करें। निविदा मंगवाने के बारे में, जो सामान्य छूट दी गयी है, वह इसमें भी लागू रहेगी।
१६	दीवार घड़ी खरीद करने की शक्ति। (बिहार वित्तीय नियमावली संहिता २ के परिशिष्ट ५ के अनुबंध "क" की मद १७)।	..	विभागाध्यक्षों को १०० रु० तक अपने और अपने कार्यालय के लिए दीवार घड़ी खरीदने की शक्ति।	..	सचिवालय से सलग्न सभी विभागाध्यक्षों को इस मद में २५० रुपये खर्च करने की शक्ति।
१७	विधि वादों की मंजूरी (वही मद २३)।	..	मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता को ५०० रुपये हर केस में।	..	मुख्य अभियन्ता को हर केस में एक हजार रुपये तक खर्च करने की शक्ति तथा

१	२	३	४	५	६
					अधीक्षण अभियंता को हर केस में ५०० रु० तक खर्च करने की शक्ति, बशर्ते कि वकीलों को उसी दर पर फीस दी जायगी, जो सरकार (वित्त विभाग) द्वारा निर्धारित है।

टिप्पणी —

टिप्पणी १—उपर्युक्त शक्तियों के अनुसार खर्च की मंजूरी सिर्फ तभी दी जायगी जब कि बजट में उपबन्ध हो।

टिप्पणी २—ऊपर विहित वित्तीय सीमा से वे शक्तियां प्रतिबद्ध (Restrained) नहीं होंगी, जिनमें इन वित्तीय सीमाओं से अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की जा चुकी हों।

समन्वय विभाग
(प्रशासनिक सुधार शाखा)।

शुद्धि-पत्र

२४ जनवरी, १९७२।

सं० मं०म०/प्र०सु०-२-१०११/७१—१५—सरकारी संकल्प सं० मं०म०/प्र०सु०-२-१०११-७१—४७६१, दिनांक २८ अक्तूबर १९७१ के परिशिष्ट की मद सं० १, २ और ३ के स्तंभ ४ के खंड (ग), ५ और २(ii) के स्थानों पर निम्नांकित शब्द पढ़ें :—

"योजना और बजट दोनों में उपबंध हो।"

२। उसी संकल्प के उक्त परिशिष्ट की मद सं० २ स्तम्भ २ में "बालू स्कीम" के स्थान पर "बालू योजना—स्कीम" पढ़ें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राम सेवक मंडल,
मुख्य सचिव।

समन्वय विभाग,
(प्रशासनिक सुधार शाखा)।

संशोधन।

१३ मार्च, १९७२।

विषय—सरकारी विभागों में हर वित्तीय मामले में सलाह लेने के लिए आन्तरिक वित्त सलाहकार-सह-उप-सचिव की व्यवस्था।

मंत्रिमंडल सचिवालय (प्रशासनिक सुधार शाखा) के संकल्प ४७६१, दिनांक २८ अक्तूबर, १९७१ की कंडिका ४ का खण्ड (ग), जो निम्न प्रकार है, विलोपित किया जाता है :—

"४ (ग) वित्त सम्बन्धी अन्य सभी मामले, जिनमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है, आन्तरिक वित्त सलाहकार का परामर्श लेकर ही वित्त विभाग को भेजे जायें।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
श्रीराम त्रिपाठी,
सरकार के उप-सचिव।

सं० मं० मं०/प्र० सु०-२-१०११/७१—४७६१

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(प्रशासनिक सुधार शाखा) ।

संकल्प ।

२८ अक्तूबर, १९७१ ।

विषय--सरकारी विभागों में हर वित्तीय मामले में सलाह लेने के लिए आन्तरिक वित्त सलाहकार-सह-उप-सचिव की व्यवस्था ।

वित्तीय मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया गया है कि सरकारी विभागों को, विभिन्न वित्तीय एवं आय-व्ययक नियमावलियों के अधीन, सम्प्रति प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार किया जाय और हर वित्तीय मामले में सलाह लेने के लिये प्रत्येक विभाग में एक-एक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की व्यवस्था की जाय ।

२ । वित्तीय शक्तियों के वर्त्तमान प्रत्यायोजन को विस्तृत करने हेतु सरकार द्वारा वित्त विभाग की सहमति से लिए गए निर्णय परिशिष्ट के रूप में अनुलग्न है । सम्बन्धित विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे सम्बन्धित नियमों का संशोधन-पत्र शीघ्र प्रेषित करें ।

३ । सरकारी विभागों में आन्तरिक वित्त सलाहकार के लिए कोई नया पद सृजित नहीं होगा । बल्कि विभागों के मौजूदा पदों में से ही एक पद का पद-नाम बदलकर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार-सह-उप-सचिव, या अवर-सचिव, जहां उप-सचिव न हो, कर दिया जाएगा । वे अपने कार्यों के अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार के कार्यों का निष्पादन करेंगे । पदाधिकारी विशेष का निर्धारण मुख्य सचिव, विकास आयुक्त तथा वित्तीय आयुक्त की स्वीकृति से होगा । सभी विभाग इस विषयक प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय (प्रशासनिक सुधार शाखा) के माध्यम से मुख्य सचिव को उपस्थापित करेंगे ।

४ । आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के निम्नांकित कार्यकृत्य होंगे :--

(क) ऐसे हर विषय पर, जिसका वित्त से सम्बन्ध है, हमेशा आन्तरिक वित्त सलाहकार की सलाह ली जाएगी ।

(ख) ऐसे विषयों में जो सम्बन्धित विभागों को प्रत्यायोजित वित्तीय क्षमता के भीतर हो, विभागीय सचिव या सक्षम प्रमुख सचिव/प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से आन्तरिक वित्त सलाहकार की सलाह को नजर अन्दाज कर सकते हैं ।

[(ग) वित्त सम्बन्धी अन्य सभी मामले, जिनमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है, आन्तरिक वित्त सलाहकार का परामर्श लेकर ही वित्त विभाग को भेजे जायेंगे ।] विलुप्त *

५ । वित्तीय आयुक्त एक कार्यक्रम बनाकर आन्तरिक वित्त सलाहकारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे ताकि वित्तीय विषयों का निष्पादन सुचारु रूप से चले ।

आदेश--इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी सरकारी विभागों/विभागाध्यक्षों एवं महालेखापाल, बिहार, रांची को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

राम सेवक मंडल,

सरकार के मुख्य सचिव ।

*शुद्धि-पत्र दिनांक १३ मार्च, १९७२

परिशिष्ट ।

	शक्तियों का स्वरूप और प्राधिकार ।	सरकारी विभागों की मौजूदा शक्तियां ।	और भी अधिक शक्तियां सौंपने के बारे में सरकार का निर्णय ।
	२	३	४
	(क) स्कीम और निर्माण--		
	नयी योजना स्कीम मंजूर करने की शक्ति । बिहार बजट हस्तक के नियम ८६, ९०, ९१, ९२, और ९३ के साथ पठित सचिवालय अनुदेश का नियम ७, १८ ।	सरकारी विभाग--शून्य ।	१ । सरकारी विभाग ऐसी हरेक नयी योजना स्कीम की मंजूरी दे सकेंगे, जिसका-- (i) वार्षिक आवर्तक खर्च १ लाख रु० तक हो, (ii) वार्षिक अनावर्तक खर्च ५ लाख रुपये तक हो, बशर्ते कि -- (क) कोई गाड़ी खरीदनी नहीं हो, (ख) किसी ऐसे राजपत्रित या अराजपत्रित पद का सृजन न किया जाय, जो अनुमोदित वेतनमान से बाहर का हो और जो पद सृजन के लिए विनिहित मापदंड के अनुसार न्यायोचित न हो तथा द्वितीय श्रेणी (वरीय) की पंक्ति से ऊपर का पद सृजित न किया जाय, *(ग) योजना और बजट [illegible] उपबन्ध हो ।
२	चालू "योजना" स्कीमों का विस्तार मंजूर करने की शक्तियां । नियम ७,१८ सचिवालय अनुदेश ।	सरकारी विभाग--शून्य ।	२ । सरकारी विभाग वार्षिक आधार पर ऐसी हरेक चालू योजना-स्कीम का अवधि-विस्तार मंजूर कर सकेंगे, जिसका :-- (i) अनावर्तक वार्षिक खर्च ७ लाख रुपये तक हो, (ii) आवर्तक वार्षिक खर्च २ लाख रुपये तक हो, बशर्ते कि-- (१) इसमें कोई नया पद शामिल न किया जाय, (२) खर्च की कोई नयी मद शामिल न की जाय, (३) स्कीम मद्दे खर्च के लिए मंजूर रकम में मंजूर पदों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि के सिवा कोई अन्य वृद्धि न की जाय,

[illegible] संख्या ५५, दिनांक २४ जनवरी, १९७२ ।
[illegible] संख्या १५, दिनांक २४ जनवरी, १७७२ ।

१	२	३	४
			(४) अनावर्तक खर्च में से उतना घटा दिया जाय, जितना पिछले वर्ष खर्च हो चुका हो,
			*(५) योजना और बजट दोनों में उपबन्ध हो।
३	मूल योजना निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में प्रकाशित अनुमोदन देने की शक्तियां नियम २२२, बिहार वित्त नियमावली, खंड १।	सरकारी विभाग—शून्य।	३। सरकारी विभाग निम्न योजना निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में प्रशासनिक अनुमोदन दे सकते हैं :—
			(१) आवासीय भवन (न्यू कैपिटल, पटना और रांची को छोड़ कर), हर मामले में १ लाख रुपये तक,
			(२) गैर-आवासीय भवन एवं अन्य निर्माण कार्य (सचिवालय भवन, पटना और रांची को छोड़कर) हर मामले में १ लाख रुपये तक, बशर्ते कि—
			(i) मशीन और परिवहन की खरीद न की जाए,
			†(ii) योजना और बजट दोनों में उपबन्ध हो।
	(ख) पुनर्विनियोग—		
४	पुनर्विनियोग मंजूर करने की शक्तियां। नियम ४८१, वित्त नियमावली खंड १।	प्रभारी मंत्री एक-ही वृहत शीर्षक के के अनुदान के भीतर उस शीर्षक के अधीनस्थों इकाईयों के बीच १५,०००रु० तक के पुनर्विनियोग की मंजूरी दे सकते हैं।	४। सरकारी विभाग एक ही वृहत शीर्षक के अधीन एक उप-शीर्षक से दूसरे उप-शीर्षक में सचिव का आदेश प्राप्त करके २५,०००रु० तक, और प्रभारी मंत्री के आदेश से ५०,०००रु० तक के पुनर्विनियोग की मंजूरी दे सकते हैं, बशर्ते कि —
			(१) पुनर्विनियोग से कोई आवर्तक दायित्व नहीं पैदा हो, या
			(२) किसी ऐसी नयी सेवा और स्कीमों के लिए पुनर्विनियोग नहीं किया जाये, जिसके लिए व्यय के वार्षिक बजट आक्कलन में या व्यय के पूरक आक्कलन में पहले से ही उपबन्ध न किया गया हो, अथवा
			(३) पुनर्विनियोग वहां नहीं किया जाए, जहां दोनों इकाइयां एक ही मंत्री के प्रभार में न हों
			टिप्पणी—इस प्रत्यायोजन के अधीन पुनर्विनियोग की मंजूरी सम्बन्धी हरेक आदेश की एक प्रति, आदेश दिये जाने के तुरत बाद वित्त विभाग में भेजा जाय।

*शुद्धिपत्र संख्या १५ दिनांक २४ जनवरी १९७२।
†शुद्धिपत्र संख्या १५ दिनांक २४ जनवरी १९७२।

२	३	४
(ग) आकस्मिकताएं—		
[illegible] आकस्मिकताएं ऐसे चार्ज (खर्च) जिन्हें [illegible] की मंजूरी बिना खर्च नहीं किये जा सकते हैं। नियम ११०, बिहार वित्त नियमावली खंड १।	सरकारी विभाग—शून्य।	५। बजट उपबन्ध और समय-समय पर सरकार द्वारा लगाए गये प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए सरकारी विभाग हरेक मामले में विशेष आकस्मिकताएं मद्दे १,००० रु० तक खर्च कर सकते हैं।
कार्यालय के उपयोग के लिये साईकिल खरीदने की मंजूरी। बिहार वित्त नियमावली, खंड २, परिशिष्ट ५ के अनुबन्ध "क" की मद सं० ३।	सरकारी विभाग—हर कार्यालय के लिए १५० रु०।	६। सरकारी विभागों को ऐसे मामलों में अपने कार्यालयों या अपने अधीनस्थ कार्यालयों में, जहां लोक कार्य की दृष्टि से आपूर्ति बहुत जरूरी हो, नियोजित संदेशवाहकों के लिए साईकिल खरीदने की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि— (१) हरेक साईकिल की कीमत २५० रु० से अधिक न हो, (२) इस मद्दे विनिर्दिष्ट (खास) बजट उपबन्ध किया गया हो। (३) सरकारी साईकिलों का उपयोग निजी (प्राइवेट) प्रयोजन में नहीं किया जायेगा, तथा (४) ऐसी किसी खरीद की मंजूरी देने के पहले मंजूरी प्राधिकारी इस बात पर विचार कर लें कि साईकिल का उपयोग करने के समय में जो बचत होगी उसे मद्दे नजर रखते हुए सम्बद्ध कार्यालय के निचला कर्मचारीवर्ग में कोई कटौती की जा सकती है या नहीं।
[illegible] फर्नीचर की खरीद और बदलाव की मंजूरी देना। बिहार वित्त नियमावली के परिशिष्ट ५ के अनुबन्ध "क" की मद सं० १४।		७। सरकारी विभागों को पूरी शक्तियां, बशर्ते कि, पदाधिकारियों और स्टाफ को फर्नीचर की आपूर्ति के लिए विहित मान से अधिक अथवा सागवान या अन्य कीमती फर्नीचर की खरीद न की जाय। सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों के पदाधिकारियों और स्टाफ को फर्नीचर की आपूर्ति के लिए विहितमाव सचिवालय अनुदेश में दिये गये हैं।
फर्नीचर की मरम्मत के लिए मंजूरी देना। [illegible] नियमावली, खंड २ के परिशिष्ट [illegible] "क" की मद सं० १४।		८। सरकारी विभागों को बजट उपबन्ध के अधीन रहते हुए पूरी शक्तियां।

१	२	३	४
९	विलम्ब चार्ज (डेमरेज चार्ज) की मंजूरी देना। नियम ११० और १२०, बिहार वित्त नियमावली, खंड १ तथा बिहार वित्त नियमावली, खंड २, परिशिष्ट ५ के अनुबन्ध "क" की मद सं० १५।	सरकारी विभाग—शून्य।	९। सरकारी विभाग हर मामले में ५०० रु० तक विलम्ब-शुल्क का भुगतान मंजूर कर सकेंगे। यदि विलम्ब शुल्क (डेमरेज चार्ज) का भुगतान सरकारी सेवक की असावधानी के चलते हुआ हो, तो एक पक्ष के अन्दर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाए। टिप्पणी—"विलम्ब शुल्क (डेमरेज चार्ज)" शब्द के अन्तर्गत ऐसे सभी चार्ज आते हैं, जिन्हें रेलवे डाकप्र धिकारी, आदि द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब, चाहे वह रोके जाने या माल चढ़ाने-उतारने में देर, अथवा रेलवे अहाता, पत्तन-संवहन शेडों (पोर्ट ट्रानजिट शेड या यार्डों), आदि से निर्धारित समय बीतने के बाद माल, असबाब और पार्सल आदि न हटाने के कारण लगाया जाय, तथा इसमें घाट-शुल्क (वहारफ़ेज चार्ज) भी शामिल है।
१०	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और चालनखर्च। बिहार वित्त नियमावली, खंड २ के परिशिष्ट ५ के अनुबन्ध "क" की मद सं० २७।	सरकारी विभाग—शून्य।	१०। सरकारी विभाग को पूरी शक्तियां।
११	मोटर गाड़ियों के जीर्ण-शीर्ण पुर्जों की मरम्मत और उनके बदलाव। बिहार वित्त नियमावली, खंड २ के परिशिष्ट ५ के अनुबन्ध "क" की मद सं० २७ के साथ पठित बिहार वित्त नियमावली, खंड १ का नियम ११०।	सरकारी विभाग—शून्य।	११। सरकारी विभाग—प्रत्येक गाड़ी हरेक वर्ष।— (i) हल्की गाड़ियों के लिए १,२०० रु० तक, (ii) भारी गाड़ियों के लिए २,५०० रु० तक, व्यय की मंजूरी दे सकते हैं, बशर्ते कि— (क) मोटरगाड़ी निरीक्षक का या कार्यपालक अभियन्ता से अन्यून पंक्ति के किसी प्राधिकृत यांत्रिक अभियन्ता का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो। (ख) बदलाव और मरम्मत का हरेक काम कम-पुस्ती (लोग-बुक) में दर्ज किया जाय। (ग) बजट में इसका उपबन्ध हो।
	(ख) किराया—		
१२	कार्यालय या माल गोदाम के रूप में उपयोग के लिए पट्टा किराये पर मकान लेना, बशर्ते कि सामान्य किराया प्रमाण-पत्र पेश किया जाय और कोई सरकारी भवन उपलब्ध न हो। बिहार वित्त नियमावली खंड २ परिशिष्ट ५ के अनुबन्ध "क" की मद सं० ३३।	सरकारी विभाग—शून्य।	१२। सरकारी विभाग—पूर्ण शक्तियां, बशर्ते कि— (१) उचित किराया प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो,

२	३	४
		(२) सरकारी भवन की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में कार्यपालक अभियन्ता, लोक-निर्माण विभाग का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, (३) किराये पर लिया गया स्थान किसी भी हालत में पदाधिकारियों और स्टाफ के लिए विहित स्थानमान के ५ प्रतिशत से अधिक न हो।
[illegible] प्रमाण-पत्र के अधीन मंजूर किए गए [illegible] किरायों के भुगतान का नवीकरण। बिहार [illegible] नियमावली, खंड २ के परिशिष्ट ५ के अनुबन्ध "क" की मद सं० ३३।	सरकारी विभाग—शून्य।	१३। सरकारी विभाग को उपर्युक्त मद १२ में दिये गये कार्यालय/गोदाम के निमित्त भवनों को किराये पर लेने के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन पूर्ण शक्तियां।
[illegible]निक किराये के आधार पर अधिक-से-अधिक [illegible] दिनों के लिए अल्पकोर्स प्रशिक्षण, आपत्तिक [illegible] आदि के लिए हॉल, गोदाम आदि किराये पर लेना, जिसमें फर्नीचर और बिजली आदि का चार्ज भी शामिल है। बिहार वित्त नियमा[illegible] खंड २ के परिशिष्ट ५ के अनुबन्ध "क" की मद सं० [illegible]।	सरकारी विभाग—शून्य।	१४। बजट में उपबन्ध के अधीन सरकारी विभाग प्रति वर्ष २,००० रु० तक व्यय कर सकते हैं।
[illegible]) लेखन साम[illegible]—		
[illegible] सामग्री और रबर-स्टाम्पों की स्थानीय [illegible] नियम १४, बिहार लेखन सामग्री [illegible]	सरकारी विभाग—सरकार के सचिव—वर्ष के दौरान अपने आवंटन के १० प्रतिशत या ५० रुपये तक, जो भी कम हो।	१५। सरकारी विभाग आपातिक स्थिति में वर्ष में ३०० (तीन सौ) रुपये तक की लेखन-सामग्री की स्थानीय खरीद मंजूर कर सकते हैं।
[illegible] का अस्थायी तौर पर आवंटन। [illegible] बिहार लेखन-सामग्री हस्तक।	सरकारी विभाग—शून्य।	१६। सरकारी विभागों को पूर्ण शक्तियां, बशर्ते कि—मंजूर की जाने वाली रकम अधीक्षक, सरकारी लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन के परामर्श से निर्धारित की जाय।
[illegible]) टेलीफोन चार्ज—		
टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने की शक्ति। बिहार वित्त नियमावली, खंड २ के परिशिष्ट ५ के अनुबंध "क" की मद सं० ४७।	सरकारी विभाग—शून्य।	१७। सरकारी विभाग निम्नांकितों के लिये टेलिफोन की मंजूरी दे सकते हैं:— (१) मंत्री, राज्य मंत्री और संसदीय सचिव—कार्यालय और आवास दोनों के लिए (हर स्थान के लिए एक से अधिक टेलीफोन नहीं)। (२) अवर-सचिव से अन्यून पंक्ति के सचिवालय पदाधिकारी—कार्यालय और आवास दोनों के लिए (हर स्थान के लिए एक से अधिक टेलीफोन नहीं)।

१	२	३	४
			(३) विभागाध्यक्ष और अपर विभागाध्यक्ष—कार्यालय और आवास दोनों के लिये (हर स्थान के लिये एक से अधिक टेलीफोन नहीं)।
			(४) सचिवालय से संलग्न कार्यालयों के मुख्यालयों में पदस्थापित ऐसे पदाधिकारी, जिनका वेतनमान ९००—१,४०० रु० से कम न हो—केवल कार्यालय के लिए (एक टेलीफोन)।
	(ज) टंकण-यंत्र—		
१८	टंकण-यंत्र (टाइपराइटर) की खरीद मंजूर करना। बिहार वित्त नियमावली, खंड २ के परिशिष्ट-५ के अनुबंध "क" की मद स० १९।	सरकारी विभाग—शून्य।	१८। सरकारी विभाग—प्रतिवर्ष अधिक-से-अधिक २,००० रु० तक, बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो और अंग्रेजी टंकण-यंत्र के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल (राजभाषा) विभाग की सहमति प्राप्त हो जाय।
	(झ) अपलेखन—		
१९	ऐसे मामले में जहां वसूली अव्यावहारिक हो, अवसूलनीय सरकारी बकाये को अपलिखित करना। नियम ६३, बिहार वित्त नियमावली, खंड १।	सरकारी विभाग—शून्य।	१९। सरकारी विभाग—इस मामले में १,००० (एक हजार) रु० तक बशर्ते कि— (१) आटा कार्य-प्रणाली में किसी त्रुटि के चलते नहीं हुआ हो, जिसमें सुधार लाने के लिए सरकारी आदेश अपेक्षित हो, (२) किसी खास सरकारी सेवक की ओर से कोई ऐसी गंभीर लापरवाही न हुई हो, जिसके चलते अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उच्चतर प्राधिकारी का आदेश अपेक्षित हो, (३) अपलेखन सम्बन्धी सभी मंजूरियां महालेखापाल, बिहार को संसूचित की जायेंगी, ताकी वह हर केस की छानबीन कर सकें और कार्यप्रणाली में पायी गयी किसी त्रुटि को, जो ध्यान में लाने योग्य हो, सरकार के ध्यान में ला सके। टिप्पणी—इस प्रत्यायोजन में ऋण और अग्रिम के मामले शामिल नहीं है।
२०	घुन, चूहे, दीमक, वर्षा आदि जैसी असामान्य स्थिति के चलते भंडार वस्तुओं और खाद्यान्नों के मद्दे हानियां तथा उनके अवसूलनीय मूल्यों का अपलेखन। नियम ६३, बिहार वित्त नियमावली, खंड १।	सरकारी विभाग—शून्य।	२०। सरकारी विभाग—मद संख्या १९ के अनुसार विनिहित शर्तों के अधीन हरेक मामले में १,००० रु० तक अपलेखन की मंजूरी की शक्ति।

१	२	३	४
	(आ) भविष्य निधि—		
२१	सामान्य भविष्य निधि अग्रिम मंजूर करना। नियम १५, बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली।	..	२१। जहां नियम शिथिल करना अपेक्षित न हो, वहां सरकारी विभाग राजपत्रित सरकारी सेवकों को सामान्य भविष्य-निधि अग्रिम मंजूर कर सकते हैं।
२२	विभागाध्यक्षों और कार्यालय-प्रधानों की शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन। नियम ५९ और ६०, बिहार वित्त नियमावली खंड १।	सरकारी विभाग—शून्य।	२२। वित्त विभाग की सहमति से सरकारी विभाग अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों को पुनः प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

सामान्य—

टिप्पणी—(१) उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग प्रशासी विभाग आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से करेगा।

(२) उपर्युक्त शक्तियों के अनुसार खर्च की मंजूरी सिर्फ तभी दी जायगी जब कि बजट में उपबन्ध हो।

(३) ऊपर विहित आर्थिक सीमा से वे शक्तियां प्रतिबद्ध (restrained) नहीं होंगी जिनमें इन आर्थिक सीमाओं से अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की जा चुकी हों।

Sub. National Systems Unit,
N[illegible] of Educational
[illegible]n
17-B, [illegible] Marg, New Delhi-110016
LOC. No............................
Date..................................

बि० गु० आ० मु० (वित्त) १८१—५००—१५-१०-१९७६—न० प्रसाद।